न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 93/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स अग्रवाल ट्रैडर्स, भ–23, सूरजपोल अनाज मंडी, जयपुर।
2. श्री राधावल्लभ डंगायच पुत्र स्व. श्री बंशीधर डंगायच, निवासी ए–80, तुलसी नगर, अमानीशाह नाला, शास्त्री नगर, जयपुर मैनेजर फर्म।

4. निर्णय दिनांक : 05.07.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री विपुल शर्मा अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 23.10.2015 को जांच हेतु मैसर्स अग्रवाल ट्रैडर्स, भ–23, सूरजपोल अनाज मण्डी, जिला जयपुर पर पंहुचे। दौराने जांच दुकान के मैनेजर अप्रार्थी संख्या 2 की उपस्थिति में जांच की गयी। वक्त जांच फर्म की दिनांक 20.10.2015 के प्रारम्भिक स्टॉक की कम्प्यूराइज्ड प्रति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार चना दाल, चना आदि का प्रारम्भिक स्टॉक 31.80 क्विं.(दुकान में) व 1868.60 क्विं.(कोल्ड स्टोरेज में) कुल 1900.40 क्विं. तथा अन्य दालों का प्रारम्भिक स्टॉक 127.60 क्विं. (दुकान में) व 1719.70 क्विं.(कोल्ड स्टोरेज में) कुल 1847.30 क्विं. था। जिसमें से फर्म द्वारा चना दाल व चना 152.20 क्विं. तथा अन्य दालें 161.49 क्विं. विक्रय की गयी। इस प्रकार फर्म के पास विक्रय करने के पश्चात शेष स्टॉक चना व चना दाल 1748.20 क्विं. व अन्य दालें 1685.81 क्विं. होना चाहिये था जबकि दुकान व कोल्ड स्टोरेज के भौतिक सत्यापन में चना व चना दाल 1928 क्विं. तथा अन्य दालें 1891.50 क्विं. मिली जो कि विक्रय बाद बचे स्टॉक से चना व चना दाल 179.80 क्विं. तथा 205.69 क्विं. अधिक है। इस प्रकार स्टॉक में अधिक पायी गयी दालों के सम्बन्ध में डीलर द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इसलिये मौके से स्टॉक में अधिक पाये गये चना व चना दाल 1928 क्विं. तथा अन्य दालें 1891.50 क्विं. को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 13.07.2022 को व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 14.02.2022 को अधिकवक्ता श्री विपुल शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अधिवक्ता की ओर से आदिनांक तक जवाब पेश नही किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान भी बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 05.07.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 23.10.2015 को अप्रार्थी की दुकान व कोल्ड स्टोरेज में जांच के दौरान भौतिक सत्यापन में स्टॉक रजिस्टर से अधिक मात्रा में मिले चना व चना दाल तथा अन्य दालों को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया, ना ही उक्त जब्त वस्तुओं के सम्बन्ध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिससे यह प्रतीत होता है कि फर्म द्वारा ग्राहकों को कम तौल कर और दालों की बढती कीमतों के दौरान विक्रय करने के लिये कालाबाजारी की नियत से बचाकर रखा गया था। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त चना व चना दाल 1928 क्विं. तथा अन्य दालें 1891.50 क्विं. को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।